बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–26.10.2013 को मेसर्स डी0एन0ए0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0, नोयडा; मेसर्स विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एवं सर्विसेज प्रा0लि0, हैदराबाद एवं मेसर्स एस0पी0एम0एल0 इन्फ्रा लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा कार्यान्वित की जा रही मिनी जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

बैठक में मुख्य अभियंता (नागरिक) के साथ संबंधित अधीक्षण अभियंतागण एवं कार्यपालक अभियंतागण तथा फर्म के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। फर्मवार किये गये समीक्षा का विवरण निम्नवत् है:–

1. **मेसर्स डी0एन0ए0 इन्फ्रास्ट्रचर्स प्रा0 लि0, नोयडा**

राज्य के 12 जिलों में 165 सौर ऊर्जा पम्प चालित के साथ मिनी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य आवंटन फर्म को दिनांक–20.12.2010 को दिया गया है। फर्म के द्वारा एकरारनामा दिनांक–11.04.2011 को किया गया है। योजना को पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष थी, जो बीत चुकी है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन हेतु उन्हें उपयुक्त स्थल सूची पूर्ण व्योरा के साथ अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे योजना के कार्यान्वयन कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2014 तक अवधि विस्तार करने हेतु आवेदन Affidavit के साथ उचित माध्यम से दिया गया है, जिस पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। इस योजना के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधि से बैठक में चर्चा की गई एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

(i) संबंधित कार्यपालक अभियंता 15 नवम्बर, 2014 तक मिनी पाईप जलापूर्ति योजना हेतु फर्म को स्थल सूची पूर्ण व्योरा के साथ दें।

(ii) स्थल का चयन सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर मुख्य रूप से किया जाय तथा स्थानीय अंचल कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। स्थल सूची के साथ खाता नं0, खेसरा नं0 तथा जमीन की चौहदी एवं रकबा भी दिया जाए।

(iii) निजी भूमि पर योजना का निर्माण नहीं कराया जाय। किसी विशेष परिस्थिति में निजी भूमि पर योजना का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता हो तो भूमिदाता से जमीन दान के रूप में रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से प्राप्त किया जाय।

(iv) अवधि विस्तार के संबंध में अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं से विमर्श के उपरांत मन्तव्य गठित हुआ कि जनहित में अंतिम रूप से फर्म को एक मौका कार्य पूर्ण करने हेतु मार्च, 2014 तक दिया जाय।

(v) फर्म के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु जिलावार एवं माहवार कार्य योजना (work schedule) तैयार कर संबंधित कार्यपालक अभियंता /अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/मुख्यालय को देंगे ताकि कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

(vi) फर्म द्वारा प्रत्येक जिला के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किये जाए जो संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता के संपर्क में रहेंगे एवं योजना की प्रगति के संबंध में सूचना देंगे।

(vii) अधीक्षण अभियंता द्वारा उनके स्तर पर मासिक बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाए जिसमें कार्यपालक अभियंता एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और समीक्षा बैठक कार्यवाही अधीक्षण अभियंता मुख्यालय को देंगे।

(viii) फर्म के द्वारा भी पाक्षिक प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय को दिया जाए।

(ix) स्थल चयन एवं योजना के कार्यान्वयन में किसी तरह की कठिनाई होने पर फर्म के प्रतिनिधि अधीक्षण अभियंता से संपर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

2. <u>मेसर्स विश्वा इन्फ्रास्टचर्स एवं सर्विसेज प्रा0लि0 हैदराबाद</u>

राज्य के 12 जिलों में विद्युत पम्प आधारित 270 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं कार्यान्वयन हेतु दिनांक–10.01.2011 को कार्य आवंटन आदेश निर्गत किया गया तथा फर्म के द्वारा दिनांक–19.01.2011 को एकरारनामा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर में किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 महीने थी, जो समाप्त हो चुकी है। इस संदर्भ में सभी कार्यपालक अभियंताओं को फर्म के द्वारा किये गये कार्य की भौतिक प्रगति एवं कृत कार्यों के विरूद्ध की भुगतान की गई राशि, फर्म को देय राशि अथवा फर्म से वापस ली जाने

वाली राशि तथा फर्म द्वारा लिये गये मोबेलाईजेशन अग्रिम की राशि एवं उसके समायोजन हेतु कटौती की गई राशि के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।

बैठक में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उन्हें समय पर पूरी स्थल सूची नहीं मिल पाई तथा स्थल का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं मिल सका है, जिसके कारण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। परंतु वे कार्य करने को इच्छुक है। फर्म द्वारा यह बताया गया कि उन्हें अब तक 228 योजनाओं की स्थल सूची प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध 186 स्थलों पर बोरवेल का निर्माण किया गया है। फर्म के प्रतिनिधि एवं अधीक्षण अभियंताओं से इस संदर्भ में वार्ता हुई एवं यह मंतत्य गठित हुआ कि संबंधित अधीक्षण अभियंता के स्तर पर कार्यपालक अभियंता एवं फर्म के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर स्थल सूची को अंतिम रूप दिया जाय। इस हेतु बैठक की तिथि निम्न रूप से तय की गईः–

अंचल का नाम	–	तिथि
बेगुसराय	–	29.10.2013
मोतिहारी	–	30.10.2013
दरभंगा	–	06.11.2013
सहरसा	–	11.11.2013
पूर्णियाँ	–	12.11.2013
मुजफ्फरपुर	–	15.11.2013
छपरा	–	16.11.2013

समीक्षा कर सभी अधीक्षण अभियंता योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अपना मंतव्य प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की गई एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

(i) संबंधित कार्यपालक अभियंता 15 नवम्बर, 2014 तक फर्म को स्थल सूची पूर्ण व्योरा के साथ दें।

(ii) मिनी पाईप जलापूर्ति योजना हेतु स्थल का चयन सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर मुख्य रूप से किया जाय तथा स्थानीय सर्किल ऑफिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। स्थल सूची के साथ खाता नं0, खेसरा नं0 तथा जमीन की चौहदी एवं रकबा भी दिया जाए।

(iii) निजी भूमि पर योजना का निर्माण नहीं कराया जाय। किसी विशेष परिस्थिति में निजी भूमि पर योजना का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता हो तो भूमिदाता से जमीन दान के रूप में रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से प्राप्त किया जाय।

(iv) अधीक्षण अभियंताओं से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवधि विस्तार के संबंध में विचार किया जायेगा।

3. <u>मेसर्स एस0पी0एम0एल0 इन्फ्रास्ट्रचर्स लिमिटेड, गुड़गांव</u>

राज्य के सुखाड़ प्रभावित 26 जिलों में विद्युत चालित पम्प के साथ 1500 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्य का आवंटन मेसर्स एस0पी0एम0एल0 इन्फ्रास्ट्रचर्स लिमिटेड, गुड़गांव को दिनांक–01.04.2010 को दिया गया था। कार्य को पूर्ण करने की अवधि 18 महीने थी, जो बीत चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि फर्म के द्वारा किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं उनके अद्यतन मापी लेकर प्रमंडलवार कराये गये कार्यों के विरूद्ध भुगतान की गई राशि, फर्म को योजनावार देय राशि अथवा फर्म से वापस ली जाने वाली राशि तथा फर्म के द्वारा लिये गये मोबेलाईजेशन अग्रिम की राशि एवं उसके समायोज़न हेतु कटौती की गई राशि के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दिया जाय। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी कई प्रमंडलों से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

योजना के कार्यान्वयन के संबंध में फर्म के प्रतिनिधि को चालू की गई योजना एवं योजना की प्रगति के संबंध में सूचना मांगी गई। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में बताया गया 519 स्थलों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ सूची प्राप्त है, जिसमें से 159 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। योजनाएँ चालू रहने के संबंध में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट सूचना नहीं दी गयी। सभी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में प्रतिवेदन उचित माध्यम से अपने मंतव्य के साथ मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध करावें ताकि विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

14/11/13

(अंशुली आर्या)
सचिव

ज्ञापांक– २०४। दिनांक– 18·11·13

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

14/11/13

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– २०४। दिनांक– 18·11·13

~~प्रतिलिपि– सचिव~~ के आप्त सचिव/निजी सहायक अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

14/11/13

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव